बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

आदेश

आदेश संख्या–2प / वि०–17–27 / 2025 / 73 / पं०रा० पटना, दिनांक 3/2/26

लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, मगध प्रमंडल, गयाजी के ज्ञापांक–4296 दिनांक 03.07.2025 के माध्यम से वाद सं०–02 / 2025 में पारित आदेश की प्रति अनुलग्नक सहित विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

2. उक्त आदेश में लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, मगध प्रमंडल, गयाजी द्वारा **श्री रामानन्द सिंह**, मुखिया, ग्राम पंचायत–पिंजौरा, प्रखण्ड–काको, जिला–जहानाबाद को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में निहित शक्तियों के दुरूपयोग, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्त्तव्यों के निर्वहन एवं वित्तीय कार्यों में दोषी पाए जाने के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(5) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पदच्युत करने की अनुशंसा की गई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(5) के अधीन मुखिया के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं सुनवाई लोक प्रहरी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस प्रावधान के आलोक में सरकार द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अगले आदेश तक अपने–अपने जिले के लिए लोक प्रहरी घोषित किया गया है।

3. **श्री रामानन्द सिंह**, मुखिया के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच कार्यपालक दण्डाधिकारी, जहानाबाद से करायी गयी है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में **श्री रामानन्द सिंह**, मुखिया, ग्राम पंचायत–पिंजौरा, प्रखण्ड–काको, जिला–जहानाबाद के विरूद्ध विभागीय निदेशों की अवहेलना, शक्तियों के दुरूपयोग आदि के संबंध में लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, मगध प्रमंडल, गयाजी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(5) के तहत् कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

4. मुखिया के विरूद्ध वर्ष 2024–25 में ग्राम सभा से बिना पारित योजना का क्रियान्वयन कर राशि की निकासी करने, स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन में विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन करने एवं पंजी में अंकित कुल 80 योजनाओं में से पोर्टल पर मात्र 55 योजनाओं को ही अपलोड किये जाने एवं भ्रष्ट आचरण बरते जाने का आरोप प्रतिवेदित है।

6. लोक प्रहरी–सह–आयुक्त, मगध प्रमंडल, गयाजी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अपना पक्ष रखने हेतु आरोपित मुखिया को विभागीय पत्रांक–12043 दिनांक 19.09.2025 एवं पत्रांक–12323 दिनांक 25.09.2025 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस के आलोक में आरोपित मुखिया सुनवाई में उपस्थित हुये एवं इनके द्वारा अपना पक्ष लिखित अभ्यावेदन के रूप में समर्पित किया गया।

7. आरोपित मुखिया, **श्री रामानन्द सिंह** द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपने पक्ष में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के साथ संलग्न दिनांक 23.01.2024 की बैठक की कार्यवाही में सभी योजनाओं को सर्वसम्मति से अनुमोदित किये जाने का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत–पिंजौरा में स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन के संबंध में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 02.10.2022 को ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति (GPIS) की बैठक आयोजित की

गयी जिसमें स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया जिसके आलोक में विज्ञापित पद के विरूद्ध कुल 03 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से श्रीमती डॉली कुमारी का आवेदन विभागीय दिशा–निदेश के अनुरूप पाया गया। इस संबंध में दिनांक 16.02.2024 को बैठक आहूत कर श्रीमती डॉली कुमारी, पति श्री उदय कुमार को स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर सचिव एवं अध्यक्ष सहित कुल 05 सदस्यों के हस्ताक्षर से चयनित किया गया जो कि नियमानुकूल है।

8. उक्त के संबंध में संचिका में संधारित दिनांक 23.01.2024 के बैठक की कार्यवाही के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बैठक में जो प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु दिनांक 07.10.2025 को सुनवाई के क्रम में आरोपित मुखिया **श्री रामानन्द सिंह** द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपने पक्ष में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के साथ संलग्न दिनांक–23.01.2024 के बैठक की कार्यवाही में सभी योजनाओं को सर्वसम्मति से अनुमोदित किये जाने का उल्लेख है। आरोपित मुखिया द्वारा दिनांक 07.10.2025 को सुनवाई के क्रम में उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मामला प्रकाश में आने के बाद कार्रवाई से बचने के निहित उद्देश्य से स्वार्थवश बैठक की कार्यवाही अभिलेख में योजना को सर्वसम्मति से अनुमोदित किये जाने की बात बाद में अंकित कर दिया गया है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 17(1)(क) के प्रावधानानुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने एवं उसकी अध्यक्षता करने का दायित्व मुखिया का है एवं धारा 17(1)(ग) के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों के समुचित संधारण का दायित्व भी मुखिया का है। इस प्रकार ग्राम सभा की बैठक में बिना अनुमोदित प्रस्तावों का क्रियान्वयन करना एवं बैठक की कार्यवाही के अभिलेख में छेड़–छाड करना आरोपित मुखिया द्वारा निहित शक्तियों के दुरूपयोग एवं अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही का द्योतक है। अतः मुखिया का यह कृत्य बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (5) के अधीन कार्रवाई योग्य है।

9. परिवाद–पत्र में स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन में विभागीय दिशा–निर्देश के उल्लंघन से संबंधित आरोप के संबंध में उप विकास आयुक्त, जहानाबाद द्वारा पत्रांक–1827 दिनांक 30.09.2022 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दिशा–निर्देश दिये जाने के बावजूद पंचायत द्वारा स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर चयन में विभागीय दिशा–निर्देश/मापदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया एवं नये तरीके से चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया। विभागीय निर्देश/मापदण्डों का अनुपालन न करते हुए मनमाने ढंग से पर्यवेक्षक का चयन करना आरोपित मुखिया का यह कृत्य मुखिया पद में निहित शक्तियों का दुरूपयोग तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का द्योतक है। साथ ही उनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में विधि द्वारा स्थापित प्राधिकार के आदेश की अवज्ञा की गयी है।

10. विद्वान लोक प्रहरी की अनुशंसा एवं आरोपों की गंभीरता के आलोक में आरोपित मुखिया **श्री रामानंद सिंह** को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–18(5) के अधीन आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से ग्राम पंचायत–पिंजौरा, प्रखण्ड–काको, जिला–जहानाबाद को मुखिया के पद से हटाते हुए यह आदेश दिया जाता है कि **श्री रामानंद सिंह** आदेश निर्गत

कृ०पृ०उ०

किये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पाँच वर्षों तक उम्मीदवार होने के पात्र नहीं होंगे।

प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प / वि0–17–27 / 2026 / 1445 / पं०रा० पटना दिनांक 3 / 2 / 2026
प्रतिलिपि : **श्री रामानन्द सिंह**, मुखिया, ग्राम पंचायत–पिंजौरा, प्रखण्ड–काको, जिला–जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प / वि0–17–27 / 2026 / 1445 / पं०रा० पटना दिनांक 3 / 2 / 2026
प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त–सह–लोक प्रहरी, मगध प्रमण्डल, गयाजी / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, जहानाबाद / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद / प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, काको, जिला–जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प / वि0–17–27 / 2026 / 1445 / पं०रा० पटना दिनांक 3 / 2 / 2026
प्रतिलिपि : सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को जनसाधारण की जानकारी हेतु समाचार के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प / वि0–17–27 / 2026 / 1445 / पं०रा० पटना दिनांक 3 / 2 / 2026
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प / वि0–17–27 / 2026 / 1445 / पं०रा० पटना दिनांक 3 / 2 / 2026
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

(मनोज कुमार)
सचिव